(नियम 26)
अदालत संभागीय आयुक्त, मुकाम,जयपुर।

छीतरमल बनाम चन्द्रप्रकाश

किस्म मुकदमाः—अपील धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 नम्बरः 2021 / 262

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.09.21	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित उनकी बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा उप तहसीलदार रामपुरा डाबडी द्वारा सीमाज्ञान हेतु जारी पत्र दिनांक 01.10.2020 एवं उक्त पत्र की पालना में पटवारी हल्का नींदड़ द्वारा पेश की गई सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 25.01.2021 के विरूद्ध हस्तगत अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है जबकि उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट की अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नही है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील पर न्यायालय हाजा के स्तर से अग्रिम कार्यवाही संभव नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में नही होने के कारण अपीलान्ट के अधिवक्ता को अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापस लौटाई जावें तथा मूल आदेशिका एवं अपील की छाया प्रति वास्ते रिकार्ड रखी जावें। पत्रावली फैसल शुकार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (दिनेश कुमार यादव) संभागीय आयुक्त, जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	मूल पत्रावली प्राप्त की समस्त दस्तावेजात सहित S.S Sunder 4-10-2021